संचिका संख्या : 6520/4/30/2021

दिनांक : .28.06.2022

आवेदक के द्वारा पूसा पुलिस के द्वारा उनके बेटे को जबरदस्ती शादी एक युवती से जो पूर्व में विवाहित है कराने का आरोप लगाते हुए यह आवेदन दिया गया है।

आरक्षी अधीक्षक समस्तीपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है। जांच के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि आवेदक अजय कुमार राय का लड़का मधुकांत कुमार एवं राज कुमार राय की लड़की प्रियंका कुमारी के बीच पूर्व से ही प्रेम था और दोनों आपस में मिलते जुलते थे एवं शादी करना चाहते थे। उसी क्रम में श्री राज कुमार राय अपनी लड़की प्रियंका कुमारी की शादी मुजफ्फरपुर निवासी मुन्ना कुमार के साथ तय कर दिनांक–23.04.2021 को शादी कर दिये। प्रियंका कुमारी शादी होने के बाद अपने ससुराल चली गयी और अपने पित एवं घर परिवार के लोगों को मधुकांत कुमार के साथ प्रेम होने की बात बतायी। तत्पश्चात प्रियंका कुमारी को उसके ससुराल के लोग उसके नैहर पहुंचा दिये। जिसके बाद अजय कुमार का लड़का एवं पतोहू दोनों मिलकर प्रियंका कुमारी को पातेपुर पहुंचा दिये जहां अजय कुमार के पतोहु का नैहर है। वहीं पर अजय कुमार राय का लड़का मधुकांत कुमार एवं प्रियंका कुमारी पति पत्नी के रूप में रहने लगे। इसी दौरान अजय कुमार राय के द्वारा प्रियंका कुमारी के पिता से दहेज की मांग किये जाने लगा और दोनों में विवाद होने लगा। इसी क्रम में अजय कुमार राय के द्वारा अपने लड़का पर लड़की को छोड़ने का दबाव बनाया गया। अजय कुमार राय का लड़का मधुकांत कुमार अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी को उसके साथ फुआ के घर उतार कर चला गया। जिसके बाद प्रियंका कुमारी अपने फुआ एवं अन्य लोगों के साथ पूसा थाना गयी और थानाध्यक्ष पूसा को एक आवेदन पत्र समर्पित की जिसके बाद पूसा थाना की पुलिस द्वारा श्री अजय कुमार राय से इस संदर्भ में पुछताछ करने हेतु थाना बुलाये तो श्री अजय कुमार राय अपने गॉव के गणमान्य लोगों को बुलाकर सभी के सामने प्रियंका कुमारी को अपनी बहु के रूप में स्वीकार किये तथा पूसा थाना से प्रियंका कुमारी ले गये। उसी समय से प्रियंका कुमारी एवं आवेदक का लड़का मधुकांत कुमार पति पत्नी के रूप में खुशी पूर्वक रह रहे हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन की प्रति आवेदक को भेजते हुए उन्हें प्रत्युत्तर दाखिल करने का अवसर दिया गया था। प्रत्युत्तर अप्राप्त है। अतः प्रतिवेदन में दिये गये तथ्यों जिसके द्वारा आवेदक के द्वारा श्रीमती प्रियंका कुमार को बहु के रूप में स्वीकार किये जाने और घर लाने की बात प्रतिवेदित की गयी है। इस संचिका को संचिकास्त किया जाता है। आदेश की प्रति आवेदक को सूचनार्थ भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(Justice Vinod Kumar Sinha, Retd.)
Chairperson